



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



संजय कुमार सिंह, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक-सह-
सचिव, स्वास्थ्य विभाग

पत्रांक : SHSB/PM/526/2018/Part-II/...2168....

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार।

सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 25/04/2023

विषय: वर्ष 2023 के संभावित बाढ़ तथा उससे उत्पन्न जलजनित रोग/महामारी की रोकथाम हेतु चिकित्सकीय प्रबंधन एवं आवश्यक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में।

प्रसंग: स्वास्थ्य विभागीय ज्ञापांक 11/आ.प्र.को. 01/2022-44/आ.प्र.को. दिनांक 10.04.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में संभावित बाढ़ एवं इससे उत्पन्न स्थिति के कारण जानमाल की क्षति के अलावे जलजनित रोग/महामारी फैलने की संभावना के मद्देनजर उसके रोकथाम हेतु पूर्व से ही प्रभावकारी कदम उठाये जाने की आवश्यकता है, ताकि जल जनित बीमारियों एवं आकस्मिकता/आपात की स्थिति में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले मरीजों का समुचित उपचार ससमय किया जा सके। स्वास्थ्य विभागीय प्रासंगिक ज्ञापांक 11/आ.प्र.को. 01/2022-44/आ.प्र.को. दिनांक 10.04.2023 द्वारा संभावित बाढ़ एवं उससे उत्पन्न जल जनित महामारी की रोक-थाम की तैयारियों हेतु अनुदेश निर्गत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, बाढ़ प्रवण जिलों के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1310/आ.प्र. दिनांक 01.04.2023 द्वारा सभी जिलों को बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिये मानक संचालन प्रक्रिया (Standard operating Procedure) भेजी गयी है।

2. उक्त के आलोक में जिलों में संभावित बाढ़ एवं इससे उत्पन्न जलजनित बीमारियों/अतिसार आदि की रोकथाम हेतु EDL में निहित आवश्यक औषधियों/Medical Devices/Consumables की सांकेतिक सूची पत्र के साथ संलग्न है। औषधियों की सांकेतिक सूची की सिविल सर्जन स्वयं के स्तर से समीक्षा कर लेंगे एवं आवश्यकतानुरूप EDL में निहित औषधियों का ही स्वास्थ्य संस्थानों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु स्वास्थ्य विभागीय ज्ञापांक 11/आ.प्र.को. 01/2022-44/आ.प्र.को. दिनांक 10.04.2023 की कंडिका ('च'-दवाओं की उपलब्धता) के आलोक में उक्त औषधियों की आपूर्ति हेतु DVDMS पर आवश्यकता आधारित अध्याचना करते हुये BMSICL से ससमय औषधियों की आपूर्ति प्राप्त करेंगे। इन औषधियों/Medical Devices/Consumables की खपत का नियमानुसार आकलन कर जिला औषधि भंडार में Buffer Stock भी संधारित किया जाय।

3. संभावित बाढ़ के मद्देनजर निम्नांकित मुख्य औषधियों/सामग्रियों का जिला औषधि भंडार एवं बाढ़ प्रभावित प्रत्येक प्रखण्ड में बाढ़ से पूर्व उपलब्धता सुनिश्चित किया जाय-

क्र० सं०	औषधियों/सामग्रियों का नाम	जिला औषधि भंडार हेतु Buffer Stock	बाढ़ प्रभावित प्रखण्डों में उपलब्धता
1	ASVS (Snake Venom Antiserum)	1000 vials	50 vials
2	ARV (Anti Rabies Vaccine)	750 vials	30 vials
3	ORS Packet	50000	10000
4	Zinc Tablet	30000	3000
5	NaDCC (Sodium dichloroisocyanurate)	50000	10000
6	Bleaching Powder	500 bags	25 bags
7	Lime	1500 bags	75 bags

[Signature]





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



4. इसके अतिरिक्त, जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ से उत्पन्न जल जमाव से प्रभावित व्यक्तियों को आपातस्थिति में त्वरित प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में वितरित किये जाने वाले फूड पैकेट (राहत पैकेट) के साथ निम्नांकित औषधियों को भी औषधि किट के रूप में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। यह ध्यानगत रखा जाय कि फूड पैकेट के साथ औषधि किट उन्हीं जिलों में वितरित की जाए, जहाँ बाढ़ की विभिन्निका अधिक होने पर आपातस्थिति में इसकी आवश्यकता हो-

क्र० सं०	औषधियों का नाम	किट में औषधियों की मात्रा
1	ORS	05 Sachets
2	Halazone Tablet/ NaDCC (Sodium dichloroisocyanurate) Tablet	30 Tablets
3	Domperidone Tablet 10 mg	01 Strip (10 Tablets)
4	Miconazole Nitrate Cream 2% w/w	01 Tube
5	Paracetamol Tablet 500mg	01 Strip (10 Tablets)

5. उपर्युक्त कंडिका-4 की तालिका में वर्णित औषधियों के उपयोग करने की स्पष्ट विधि भी एक पर्ची पर अंकित कर उसी औषधि किट में डाल दिया जाय, ताकि उपयोगकर्ता व्यक्ति/परिवार को उक्त औषधियों का उपयोग करने में कोई कठिनाई अथवा संशय की स्थिति उत्पन्न नहीं होने पाए। उक्त पर होने वाले व्यय का वहन स्वास्थ्य विभागीय दवा इकाई मद/NHM की निधि से किया जाएगा।

6. उपरांकित तालिकाओं में वर्णित जिन आवश्यक औषधियों/सामग्रियों का दर अनुबंध BMSICL द्वारा किया गया है, उनकी जिलों में आपूर्ति हेतु विहित प्रक्रियानुसार BMSICL को शीघ्र DVDMS पर अध्याचना (online indent) निर्गत की जाय। जिन औषधियों/सामग्रियों का दर अनुबंध BMSICL द्वारा नहीं किया गया है, उन औषधियों की आवश्यकता का आकलन सिविल सर्जन जिलास्तर पर चिकित्सकों का एक समिति गठित करते हुये कर लें। तदनुसार आवश्यकता आधारित क्रय स्वास्थ्य विभागीय ज्ञापांक 11/आ.प्र.को. 01/2022-44/आ.प्र.को. दिनांक 10.04.2023 की कंडिका ('च'-दवाओं की उपलब्धता) में निर्धारित व्यवस्था के आलोक में BMSICL से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुए विहित प्रक्रियानुसार स्थानीय स्तर पर बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली एवं अद्यतन विभागीय क्रय अनुदेशों का पालन करते हुये किया जाय।

7. बाढ़ से संबंधित अन्य औषधियाँ तथा Bleaching Powder एवं Halazone Tablet/ NaDCC (Sodium dichloroisocyanurate) Tablet की जिलान्तर्गत आवश्यकता का आकलन सिविल सर्जन के स्तर से करते हुये इसकी आपूर्ति हेतु BMSICL को DVDMS पर अध्याचना (indent) पत्र प्राप्ति के दो दिनों के अंदर भेजना सुनिश्चित किया जाय।

8. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में छिड़काव सामग्रियों का भंडारण, वितरण एवं उनके उपयोग संबंधी आवश्यक प्रबंध तथा इसकी निगरानी एवं अनुश्रवण का कार्य निम्नवत् सम्पादित कराया जाय-

(क) सभी सिविल सर्जन अपने क्षेत्रान्तर्गत बाढ़ प्रभावित प्रखण्डों/पंचायतों के आधार पर Bleaching Powder एवं चूना (Lime) की खपत का आकलन करेंगे। उक्त सामग्रियों का वितरण संबंधित प्रखण्ड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के माध्यम से क्षेत्र की ए०एन०एम०/आशा/आशा फ़ैसिलिटेटर/ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता/जीविका के सक्रिय सदस्य/विकास मित्र आदि का दल गठित कर उन्हें हस्तगत कराया जाय एवं इन सामग्रियों का प्राप्ति रसीद भी उनसे लिया जाय।

(ख) छिड़काव कार्य की निगरानी हेतु गठित समिति में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में क्षेत्र की ए०एन०एम०/आशा/आशा फ़ैसिलिटेटर/ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता/जीविका के सक्रिय सदस्य/विकास मित्र के

(Handwritten signature)





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



अतिरिक्त वर्तमान मुखिया/सभी वार्ड सदस्य शामिल होंगे, जिसमें ए०एन०एम०/आशा फैसिलिटेटर सदस्य सचिव होंगी एवं उनके द्वारा एतद संबंधी पंजी (लॉग-बुक) में तिथिवार सूचनाओं की प्रविष्टि सुनिश्चित कराई जाएगी। संबंधित क्षेत्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि छिड़काव हेतु पंचायतवार पंजी (लॉग बुक) का संधारण निम्नवत् कराया जाएगा-

पंजी का बाँया पृष्ठ

क्र० सं०	ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा	प्राप्ति की तिथि	चूना (Lime) की मात्रा	प्राप्ति की तिथि	प्राप्तकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर
----------	--------------------------	------------------	-----------------------	------------------	-----------------------------------

पंजी का दाँया पृष्ठ

पंचायत / प्रखण्ड का नाम	छिड़काव स्थल (टोला/ मुहल्ला का नाम)	छिड़काव की तिथि	उपयोग में लाये गये ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा	उपयोग में लाये गये चूना (Lime) की मात्रा	जनप्रतिनिधि का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर	ए०एन०एम०/आशा/आशा फैसिलिटेटर/आँगनवाड़ी कार्यकर्ता/जीविका के सक्रिय सदस्य/ विकास मित्र का नाम एवं हस्ताक्षर
-------------------------	-------------------------------------	-----------------	---	--	---	---

(ग) इस संदर्भ में स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 240, दिनांक 02.09.2016 द्वारा निर्गमित परिपूर्ण (Exhaustive) दिशा-निर्देश का अनुसरण किया जाय (छाया प्रति संलग्न)।

9. जिलान्तर्गत विभिन्न सरकारी अस्पतालों एवं जिला औषधि भंडार में भंडारित/उपलब्ध औषधियों/Medical Devices/Consumables का सक्षम पदाधिकारियों का एक दल (जिसमें जिला औषधि भंडार के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सहायक औषधि नियंत्रक, औषधि निरीक्षक एवं संबंधित अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/उपाधीक्षक को अवश्य रखा जाय) गठित करते हुए भौतिक सत्यापन करा लिया जाय और यह सुनिश्चित किया जाए कि जिलान्तर्गत किसी भी संस्थान में तिथिवाद एवं अवमानक स्तर की औषधियों का भंडारण नहीं हो। औषधियों/Medical Devices/Consumables के अवसान तिथि की गहन समीक्षा कर ली जाए तथा किसी भी परिस्थिति में इन औषधियों का उपयोग/वितरण नहीं किया जाय। उक्त निर्देश के उल्लंघन अथवा अननुपालन की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित पदाधिकारी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे एवं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी।

10. बाढ़ एवं उससे उत्पन्न जलजनित महामारी की रोकथाम के दौरान COVID-19 के संक्रमण से बचाव के समुचित उपाय किये जायें एवं इसके प्रबंधन में सुरक्षात्मक किट्स/प्रतिरक्षक सामग्रियों का समुचित रूप से सदुपयोग सुनिश्चित किया जाय।

11. आवश्यक औषधियों/चिकित्सकीय सामग्रियों के भंडारण एवं वितरण तथा खपत से संबंधित सूचनाओं को प्रतिदिन DVDMS पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अद्यतन (Update) किया जाय।

12. अतः अनुरोध है कि उक्त निर्देशों का तत्परता एवं दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन इस कार्यालय को ई-मेल: ssobihar@gmail.com, aoshsbihar@gmail.com एवं drugcell@gmail.com पर भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय।
अनुलग्नक: यथोक्त।

विश्वासभाजन

(संजय कुमार सिंह)





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



संजय कुमार सिंह, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक-सह-
सचिव, स्वास्थ्य विभाग

पत्रांक : SHSB/PM/526/2018/Part-II/.....

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार।

सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक.....

विषय: वर्ष 2023 के संभावित बाढ़ तथा उससे उत्पन्न जलजनित रोग/महामारी की रोकथाम हेतु चिकित्सकीय प्रबंधन एवं आवश्यक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में।

प्रसंग: स्वास्थ्य विभागीय ज्ञापांक 11/आ.प्र.को. 01/2022-44/आ.प्र.को. दिनांक 10.04.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में संभावित बाढ़ एवं इससे उत्पन्न स्थिति के कारण जानमाल की क्षति के अलावे जलजनित रोग/महामारी फैलने की संभावना के मद्देनजर उसके रोकथाम हेतु पूर्व से ही प्रभावकारी कदम उठाये जाने की आवश्यकता है, ताकि जल जनित बीमारियों एवं आकस्मिकता/आपात की स्थिति में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले मरीजों का समुचित उपचार ससमय किया जा सके। स्वास्थ्य विभागीय प्रासंगिक ज्ञापांक 11/आ.प्र.को. 01/2022-44/आ.प्र.को. दिनांक 10.04.2023 द्वारा संभावित बाढ़ एवं उससे उत्पन्न जल जनित महामारी की रोक-थाम की तैयारियों हेतु अनुदेश निर्गत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, बाढ़ प्रवण जिलों के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1310/आ.प्र. दिनांक 01.04.2023 द्वारा सभी जिलों को बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिये मानक संचालन प्रक्रिया (Standard operating Procedure) भेजी गयी है।

2. उक्त के आलोक में जिलों में संभावित बाढ़ एवं इससे उत्पन्न जलजनित बीमारियों/अतिसार आदि की रोकथाम हेतु EDL में निहित आवश्यक औषधियों/Medical Devices/Consumables की सांकेतिक सूची पत्र के साथ संलग्न है। औषधियों की सांकेतिक सूची की सिविल सर्जन स्वयं के स्तर से समीक्षा कर लेंगे एवं आवश्यकतानुरूप EDL में निहित औषधियों का ही स्वास्थ्य संस्थानों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु स्वास्थ्य विभागीय ज्ञापांक 11/आ.प्र.को. 01/2022-44/आ.प्र.को. दिनांक 10.04.2023 की कंडिका ('च'-दवाओं की उपलब्धता) के आलोक में उक्त औषधियों की आपूर्ति हेतु DVDMS पर आवश्यकता आधारित अध्याचना करते हुये BMSICL से ससमय औषधियों की आपूर्ति प्राप्त करेंगे। इन औषधियों/Medical Devices/Consumables की खपत का नियमानुसार आकलन कर जिला औषधि भंडार में Buffer Stock भी संधारित किया जाय।

3. संभावित बाढ़ के मद्देनजर निम्नांकित मुख्य औषधियों/सामग्रियों का जिला औषधि भंडार एवं बाढ़ प्रभावित प्रत्येक प्रखण्ड में बाढ़ से पूर्व उपलब्धता सुनिश्चित किया जाय-

क्र० सं०	औषधियों/सामग्रियों का नाम	जिला औषधि भंडार हेतु Buffer Stock	बाढ़ प्रभावित प्रखण्डों में उपलब्धता
1	ASVS (Snake Venom Antiserum)	1000 vials	50 vials
2	ARV (Anti Rabies Vaccine)	750 vials	30 vials
3	ORS Packet	50000	10000
4	Zinc Tablet	30000	3000
5	NaDCC (Sodium dichloroisocyanurate)	50000	10000
6	Bleaching Powder	500 bags	25 bags
7	Lime	1500 bags	75 bags





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



4. इसके अतिरिक्त, जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ से उत्पन्न जल जमाव से प्रभावित व्यक्तियों को आपातस्थिति में त्वरित प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में वितरित किये जाने वाले फूड पैकेट (राहत पैकेट) के साथ निम्नांकित औषधियों को भी औषधि किट के रूप में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। यह ध्यानगत रखा जाय कि फूड पैकेट के साथ औषधि किट उन्हीं जिलों में वितरित की जाए, जहाँ बाढ़ की विभिन्निका अधिक होने पर आपातस्थिति में इसकी आवश्यकता हो-

क्र० सं०	औषधियों का नाम	किट में औषधियों की मात्रा
1	ORS	05 Sachets
2	Halazone Tablet/ NaDCC (Sodium dichloroisocyanurate) Tablet	30 Tablets
3	Domperidone Tablet 10 mg	01 Strip (10 Tablets)
4	Miconazole Nitrate Cream 2% w/w	01 Tube
5	Paracetamol Tablet 500mg	01 Strip (10 Tablets)

5. उपर्युक्त कंडिका-4 की तालिका में वर्णित औषधियों के उपयोग करने की स्पष्ट विधि भी एक पर्ची पर अंकित कर उसी औषधि किट में डाल दिया जाय, ताकि उपयोगकर्ता व्यक्ति/परिवार को उक्त औषधियों का उपयोग करने में कोई कठिनाई अथवा संशय की स्थिति उत्पन्न नहीं होने पाए। उक्त पर होने वाले व्यय का वहन स्वास्थ्य विभागीय दवा इकाई मद/NHM की निधि से किया जाएगा।

6. उपरांकित तालिकाओं में वर्णित जिन आवश्यक औषधियों/सामग्रियों का दर अनुबंध BMSICL द्वारा किया गया है, उनकी जिलों में आपूर्ति हेतु विहित प्रक्रियानुसार BMSICL को शीघ्र DVDMS पर अधियाचना (online indent) निर्गत की जाय। जिन औषधियों/सामग्रियों का दर अनुबंध BMSICL द्वारा नहीं किया गया है, उन औषधियों की आवश्यकता का आकलन सिविल सर्जन जिलास्तर पर चिकित्सकों का एक समिति गठित करते हुये कर लें। तदनुसार आवश्यकता आधारित क्रय स्वास्थ्य विभागीय ज्ञापांक 11/आ.प्र.को. 01/2022-44/आ.प्र.को. दिनांक 10.04.2023 की कंडिका ('च'-दवाओं की उपलब्धता) में निर्धारित व्यवस्था के आलोक में BMSICL से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुए विहित प्रक्रियानुसार स्थानीय स्तर पर बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली एवं अद्यतन विभागीय क्रय अनुदेशों का पालन करते हुये किया जाय।

7. बाढ़ से संबंधित अन्य औषधियाँ तथा Bleaching Powder एवं Halazone Tablet/ NaDCC (Sodium dichloroisocyanurate) Tablet की जिलान्तर्गत आवश्यकता का आकलन सिविल सर्जन के स्तर से करते हुये इसकी आपूर्ति हेतु BMSICL को DVDMS पर अधियाचना (indent) पत्र प्राप्ति के दो दिनों के अंदर भेजना सुनिश्चित किया जाय।

8. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में छिड़काव सामग्रियों का भंडारण, वितरण एवं उनके उपयोग संबंधी आवश्यक प्रबंध तथा इसकी निगरानी एवं अनुश्रवण का कार्य निम्नवत् सम्पादित कराया जाय-

(क) सभी सिविल सर्जन अपने क्षेत्रान्तर्गत बाढ़ प्रभावित प्रखण्डों/पंचायतों के आधार पर Bleaching Powder एवं चूना (Lime) की खपत का आकलन करेंगे। उक्त सामग्रियों का वितरण संबंधित प्रखण्ड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के माध्यम से क्षेत्र की ए०एन०एम०/आशा/आशा फैसिलिटेटर/ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता/जीविका के सक्रिय सदस्य/विकास मित्र आदि का दल गठित कर उन्हें हस्तगत कराया जाय एवं इन सामग्रियों का प्राप्ति रसीद भी उनसे लिया जाय।

(ख) छिड़काव कार्य की निगरानी हेतु गठित समिति में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में क्षेत्र की ए०एन०एम०/आशा/आशा फैसिलिटेटर/ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता/जीविका के सक्रिय सदस्य/विकास मित्र के

(Signature)





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



अतिरिक्त वर्तमान मुखिया/सभी वार्ड सदस्य शामिल होंगे, जिसमें ए०एन०एम०/आशा फैसिलिटेटर सदस्य सचिव होंगी एवं उनके द्वारा एतद संबंधी पंजी (लॉग-बुक) में तिथिवार सूचनाओं की प्रविष्टि सुनिश्चित कराई जाएगी। संबंधित क्षेत्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि छिड़काव हेतु पंचायतवार पंजी (लॉग बुक) का संधारण निम्नवत् कराया जाएगा-

पंजी का बाँया पृष्ठ

क्र० सं०	ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा	प्राप्ति की तिथि	चूना (Lime) की मात्रा	प्राप्ति की तिथि	प्राप्तकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर
----------	--------------------------	------------------	-----------------------	------------------	-----------------------------------

पंजी का दाँया पृष्ठ

पंचायत / प्रखण्ड का नाम	छिड़काव स्थल (टोला/ मुहल्ला का नाम)	छिड़काव की तिथि	उपयोग में लाये गये ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा	उपयोग में लाये गये चूना (Lime) की मात्रा	जनप्रतिनिधि का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर	ए०एन०एम०/आशा/आशा फैसिलिटेटर/ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता/जीविका के सक्रिय सदस्य/ विकास मित्र का नाम एवं हस्ताक्षर
-------------------------	-------------------------------------	-----------------	---	--	---	--

(ग) इस संदर्भ में स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 240, दिनांक 02.09.2016 द्वारा निर्गमित परिपूर्ण (Exhaustive) दिशा-निदेश का अनुसरण किया जाय (छाया प्रति संलग्न)।

9. जिलान्तर्गत विभिन्न सरकारी अस्पतालों एवं जिला औषधि भंडार में भंडारित/उपलब्ध औषधियों/Medical Devices/Consumables का सक्षम पदाधिकारियों का एक दल (जिसमें जिला औषधि भंडार के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सहायक औषधि नियंत्रक, औषधि निरीक्षक एवं संबंधित अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/उपाधीक्षक को अवश्य रखा जाय) गठित करते हुए भौतिक सत्यापन करा लिया जाय और यह सुनिश्चित किया जाए कि जिलान्तर्गत किसी भी संस्थान में तिथिवाद एवं अवमानक स्तर की औषधियों का भंडारण नहीं हो। औषधियों/Medical Devices/Consumables के अवसान तिथि की गहन समीक्षा कर ली जाए तथा किसी भी परिस्थिति में इन औषधियों का उपयोग/वितरण नहीं किया जाय। उक्त निदेश के उल्लंघन अथवा अननुपालन की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित पदाधिकारी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे एवं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी।

10. बाढ़ एवं उससे उत्पन्न जलजनित महामारी की रोकथाम के दौरान COVID-19 के संक्रमण से बचाव के समुचित उपाय किये जायें एवं इसके प्रबंधन में सुरक्षात्मक किट्स/प्रतिरक्षक सामग्रियों का समुचित रूप से सदुपयोग सुनिश्चित किया जाय।

11. आवश्यक औषधियों/चिकित्सकीय सामग्रियों के भंडारण एवं वितरण तथा खपत से संबंधित सूचनाओं को प्रतिदिन DVDMS पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अद्यतन (Update) किया जाय।

12. अतः अनुरोध है कि उक्त निदेशों का तत्परता एवं दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन इस कार्यालय को ई-मेल: ssobihar@gmail.com, aoshsbihar@gmail.com एवं drugcell@gmail.com पर भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय।
अनुलग्नक: यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(संजय कुमार सिंह)





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



ज्ञापांक : SHSB/PM/526/2018/Part-II/216.8.....पटना, दिनांक: 25/07/2023

प्रतिलिपि:

- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- अपर मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को कृपया सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
- प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- राज्य सर्वेक्षण पदाधिकारी/स्टेट इपीडेमोलॉजिस्ट, IDSP/सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (रोग नियंत्रण सहित), राज्य स्वा० समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।
- सभी सहायक औषधि नियंत्रक/औषधि निरीक्षक, औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वा० समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- अपर निदेशक (आपदा), स्वास्थ्य विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित। निदेश है कि सभी जिलों के सिविल सर्जन से समन्वय कर उपरांकित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए एवं राज्य सर्वेक्षण पदाधिकारी से नियमित रूप से संपर्क कर विहित प्रपत्रों में जिलों से वांछित सूचनायें प्राप्त कर उच्चाधिकारियों को प्रतिवेदित किया जाए।

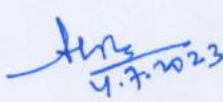
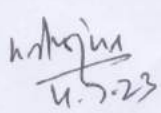
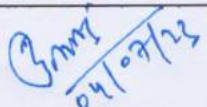
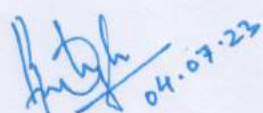
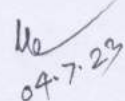
(Signature)

कार्यपालक निदेशक-सह-
सचिव, स्वास्थ्य विभाग



बाद से संबंधित आवश्यक औषधियों/युक्तियों की सांकेतिक सूची

Sl. No.	Name of the Drug/Medical Devices/Consumables	EDL Status	BMSICL Rate Contract Status
1	A.D. Syringe	EDL	RC
2	Adhesive Tape	EDL	RC
3	Adrenaline Injection	EDL	RC
4	Albendazole Tablet	EDL	RC
5	Alcohol Swab	EDL	Non RC
6	Amikacin Injection	EDL	RC
7	Amoxycillin+ Clavulanic Acid Oral Liquid/Tablet	EDL	RC
8	Azithromycin Tablet/Syrup	EDL	RC
9	Bandage	EDL	RC
10	Betamethasone Dipropionate Cream	EDL	RC
11	Bleaching Powder	EDL	RC
12	Cefixime Tablet/Oral Liquid	EDL	RC
13	Ceftriaxone injection	EDL	RC
14	Chloramphenicol Ointment	EDL	RC
15	Chloroquine Tablet/Oral Liquid	EDL	RC
16	Chlorpheniramin Tablet	EDL	Non RC
17	Ciprofloxacin Tablet/Injection/Drops	EDL	RC
18	Compound Sodium Lactate (Ringer Lactate) Injection	EDL	RC
19	Cotton	EDL	RC
20	Dexamethasone Tablet/Injection	EDL	Non RC
21	Dextrose + Sodium Chloride Injection	EDL	RC
22	Dextrose Injection	EDL	RC
23	Diclofenac Sodium Tablet/Gel/Injection	EDL	RC
24	Dicyclomine Hydrochloride Tablet/Drop/Oral Liquid/Injection	EDL	RC
25	Domperidone Tablet/Drop/Oral Liquid	EDL	Non RC
26	Dried Aluminium hydroxide+Magnesium hydroxide+activated dimethicone (Antacid) Oral Liquid	EDL	RC
27	Hydrocortisone Sodium Injection/Cream/Gel/Oint	EDL	RC
28	Ibuprofen Tablet/Oral Liquid	EDL	RC
29	Isosorbide dinitrate	EDL	RC
30	IV Canula	EDL	RC
31	IV Set (Adult, Paediatric & Micro)	EDL	RC
32	Levocetirizine Dihydrochloride Oral Liquid/Tablet	EDL	RC
33	Levofloxacin Tablet/Injection	EDL	RC
34	Levo-Salbutamol Tablet	EDL	RC
35	Metoclopramide Injection	EDL	Non RC

 4.7.23
 4.5.23
 04.07.23
Page 1 of 2
 4.7.23
 04.07.23
 04.7.23

Sl. No.	Name of the Drug/Medical Devices/Consumables	EDL Status	BMSICL Rate Contract Status
36	Metronidazole Tablets/Injection/Suspension	EDL	RC
37	Miconazole Nitrate Cream	EDL	RC
38	Moxifloxacin Eye Drop	EDL	RC
39	Mupirocin Ointment	EDL	Non RC
40	NaDCC Tablet	EDL	RC
41	Normal Saline Nasal Drop	EDL	Non RC
42	Ofloxacin Tablet	EDL	Non RC
43	Ondansetron Tablet/Injection	EDL	RC
44	Oral Rehydration Salts (ORS)	EDL	RC
45	Pantoprazole Tablet/Injection	EDL	RC
46	Paracetamol Tablet/Injection/Oral Liquid/Drop	EDL	RC
47	Permethrin Lotion/Cream	EDL	RC
48	Pheniramine Maleate Injection	EDL	RC
49	Povidone Iodine/solution/Ointment	EDL	RC
50	Rabeprazole Sodium Tablet/Injection	EDL	RC
51	Rabies immunoglobulin Injection	EDL	RC
52	Rabies Vaccine Human (ARV) Injection	EDL	RC
53	Scorpion Venom Antiserum	EDL	Non RC
54	Snake Venom Antiserum (ASVS) Lyophilized Polyvalent	EDL	RC
55	Sodium Chloride (Normal Saline) Injection	EDL	RC
56	Sodium Chloride Infusion	EDL	RC
57	Sulphadoxine+Pyrimethamine Tablet	EDL	RC
58	Surgical Gloves	EDL	RC
59	Tetanus Vaccine (Adsorbed) Injection	EDL	RC
60	Tranexamic Acid Tablet/Injection	EDL	RC
61	Water for Injection	EDL	RC
62	Zinc Sulphate Tablet/Oral Solution	EDL	RC

Handwritten signature
4.7.2023

(आलोक कुमार)
PCM Expert

Handwritten signature
4.7.23

(मनीष रंजन)
सहायक निदेशक, औषधि

Handwritten signature
04/07/23

(डा० अभिषेक कु० सिन्हा)
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, HSS

Handwritten signature
04/07/23

(उत्तम कुमार सिंह)
सहायक औषधि निबंधक

Handwritten signature
04.07.23

(राकेश चंदन सिंह)
सहायक औषधि निबंधक

Handwritten signature
04/7/23

(मृत्युंजय कुमार)
प्रशासी पदाधिकारी-सह-
प्रभारी प्रोक्चोरमेट